उनवान बलदेव राज गाबा बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं. 20/2022

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आरएएस

वाद पत्र संख्या 20/2022

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

बलदेवराज गाबा पुत्र रामलाल जाति अरोडा आयु करीब 60 वर्ष निवासी मकान न० 228 – बी गली न0 5 सेतिया कालोनी, श्री गंगानगर ।

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी का वास्तविक नाम बलदेवराज तथा जाति गाबा है अतः उसको बलदेवराज गाबा के नाम से जाना व पहचाना जाता है, वादी के नाम से भारत सरकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से फोटोयुक्त आधार कार्ड सं0 996567344732 जारी किया हुआ है तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग से आरजे/01/006/0441464 जारी किया हुआ है, जिसकी नकल शामिल है, वादी की माता बीबी रानी पत्नी रामलाल के नाम से चक 30 जैड तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 107, मु0 न0 19 में 12/125 हिस्सा खातेदारी दर्ज था जिसके देहांत के बाद इंतकाल सं० 525/12.02.20 दिनांक 20.02.20 को ग्राम पंचायत साहबसिंहवाला द्वारा तस्दीक किया गया जो कि वादी के हक में दर्ज किया गया जिसमें भी वादी का नाम बलदेवराज गाबा पुत्र रामलाल हिस्सा 2/125 दर्ज है इंतकाल की नकल शामिल है तथा इसके आधार पर जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता सं0 107/47 में भी वादी का नाम बलदेवराज गाबा पुत्र रामलाल दर्ज किया हुआ है जमाबंदी की नकल शामिल है। इसी खाता सं0 107/47 मु0 न0 19 की 6.325 हे0 में वादी के नाम से माता से आयी भूमि के अलावा 12/125 हिस्सा दर्ज है जिसमें टंकण की गलती से कम्प्यूटर मिस्टेक अथवा कर्मचारीगण माल आदि की गलती से वादी का नाम चौधरीलाल पुत्र रामलाल दर्ज किया हुआ है जबकि वादी का सही नाम बलदेवराज गाबा है, इस प्रकार इस जमाबंदी में जो 12/125 हिस्सा दर्ज है वह वास्तव में बलदेवराज गाबा की भूमि ही है, इस प्रकार एक ही जमाबंदी में दो अलग अलग नाम दर्ज होने से भूमि के सुधार कार्य करवा पाने में व सुधार कार्य के लिए आवश्यक कागजात तैयार करवाने में भारी बाधा पैदा हो रही है, रामलाल के वादी बलदेवराज के अलावा चौधरीलाल के नाम से कोई लडका नहीं था, घर में स्नेह व प्यार से वादी को चौधरी कहते थे, इसी कारण किसी गलती से बलदेवराज के स्थान पर चौधरीलाल दर्ज हो गया, अतः वादी को चक 23 जैड पटवार हल्का साहबसिंहवाला तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 107/47 मु0न0 19 के किला न० 1 ता 25 की 6.325 हे0 में से जो भूमि 12/125 हिस्सा दर्ज है का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती कर चौधरीलाल के स्थान पर बलदेवराज गाबा दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे वादी भूमि में सुधार कार्य करवा सके। वादी ने प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह चक 23 जैड के खाता सं0 107/47 (जमाबंदी 2072–75) में जो 12/125 हिस्सा दर्ज है उसका वादी को खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर चौधरीलाल के स्थान पर बलदेवराज गाबा दर्ज करे मगर प्रतिवादी द्वारा टालमटोल करते हुए

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

दिनांक 03.02.22 को स्पष्ट कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही चौधरीलाल के स्थान पर बलदेवराज गाबा दर्ज किया जा सकेगा, अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। यह कि उपरोक्त भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार में स्थित है, अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। चक 23 जैड के खाता सं0 107/47 की भूमि में अन्य हिस्सेदारों का जो हिस्सा दर्ज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अतः अन्य कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है, भूमि की मालिक लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार होने से ही पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 23 जैड पटवार हल्का साहबसिंहवाला तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 107/47 मु0 न0 19 के किला न० 1 ता 25 की 6.325 हे० जमाबंदी संवत 2072–75 में जो 12/125 हिस्सा चौधरीलाल पुत्र रामलाल के नाम दर्शाया हुआ है का वादी को खातेदार घोषित करते हुए व अन्य जिस जिस रिकार्ड में इस प्रकार दर्ज हो के सम्बंध में भी वादी को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरुस्ती करते हुए चौधरीलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर चौधरीलाल को कलमजन करते हुए इसके स्थान पर बलदेवराज गाबा दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे, अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट से स्टेट जवाब तलब किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

साक्ष्य वादी में बलदेव राज गाबा पुत्र श्री राम लाल आयु 61 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी गली नम्बर 5 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर शपथ पत्र साक्ष्य पेश किया गया।

राजस्व पटवारी पटवार मण्डल 18 जैड/साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। राजस्व पटवारी पटवार मण्डल 18 जैड/साहिबसिंहवाला द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार आज के रोज दिनांक 26.06.2025 को प.म. साहिबसिंहवाला के चक 23 जैड पहुंचा। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के वाद संख्या 20/2022 धारा अन्तर्गत 88 आर.टी.ए., 136 एलआर एक्ट नामशुद्धि की जांच हेतु चक 23 जैड पहुंचकर उपस्थित ग्रामवासियों व मौतबिरानों से पूछताछ की गई। उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि चौधरी लाल अथवा बलदेव राज गाबा चक 23 जैड में निवास नहीं करता। चक 23 जैड में चौधरीलाल अथवा बलदेव राज गाबा के नाम से खाता संख्या 107 के मु.नं. 19 में जो कृषि भूमि दर्ज है को ठेके पर दे रखी है। मौके पर मौजूद लोगों से चौधरी लाल, बलदेवराज गाबा के बारे में पूछा गया व पूछने पर बताया गया कि चौधरीलाल व बलदेव राज गाबा एक ही व्यक्ति हैं। वर्तमान में चौधरी लाल अथवा बलदेव राज गाबा पुत्र रामलाल 228 बी सेतिया कॉलोनी गली नं. 8 श्रीगंगानगर में निवास करते हैं। उक्त फर्द मौका उपस्थित लोगों को ऊंची आवाज में पढ़कर सुनायी गई व सहमति से अंगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि राजस्व पटवारी पटवार मण्डल 18 जैड/साहिबसिंहवाला द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 के अनुसार चौधरीलाल व बलदेव राज गाबा एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जावे। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 23 जैड, पटवार हलका साहिबसिंहवाला, मू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 107/47 नामान्तकरण संख्या 525/12.02.2020, वादी बलदेव राज गाबा पुत्र राम लाल के आधार कार्ड की प्रति, वादी द्वारा बलदेव राज गाबा उर्फ चौधरी लाल पुत्र राम लाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये की प्रति का अवलोकनद किया गया। राजस्व पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 का अवलोकन किया गया जिसमें चौधरी लाल व बलदेव राज गाबा एक ही व्यक्ति होने की ताइद की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 के आधार पर न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–::आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2072–2075 चक 23 जैड पटवार हल्का साहबसिंहवाला तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 107/47 के मु0 न0 19 के किला न0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर में चौधरीलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 12/125 में अंकित चौधरीलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर बलदेवराज गाबा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.07.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)